न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, अटरू जिला बारां (राज.)

पीठासीन अधिकारीः–दिनेश कुमार मीणा आर.ए.एस.

प्रकरण सं0 30/2020 **दायर दिनांक :–02.03.2020**

उनवान

1. मोनिका पुत्री पुरूषोत्तम आयु 20 वर्ष
2. अर्जिता पुत्री पुरूषोत्तम आयु 17 वर्ष नाबालिग जरिये वलिया माता सलोचना पत्नी पुरूषोत्तम
3. सलोचना पत्नी पुरूषोत्तम आयु 40 वर्ष जाति मीणा निवासीगण पचेल कलां तहसील अन्ता जिला बारां राज0

प्रार्थीगण

बनाम

1. पुरूषोत्तम आत्मज रामनाथ जाति मीणा
2. मोत्या बाई बेवा रामनाथ जाति मीणा निवासीगण कराडिया गुलजी तहसील अटरू जिला बारां।
3. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार साहब अटरू जिला बारां राज0।

अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर0 टी0 एक्ट

उपस्थिति
वादीगण :– विद्वान अभिभाषक श्री मोहनलाल सुमन।
प्रतिवादीगण :– विद्वान अभिभाषक श्री बद्रीलाल नागर प्रति. क.1 ता 2

निर्णय दिनांक 07/03/2022

पत्रावली पेश हुई। प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण की तलवी जर्ये सम्मन की गई। संक्षिप्त में प्रार्थना पत्र इस आश्य का पेश किया है कि उपरोक्त शीर्षक का वाद माननीय न्यायालय में प्रस्तुत कर दिया है। जिसमें सफलता की पूर्ण आशा है। प्रतिपक्षी नं0 1 प्रार्थीगण नं0 1 व 2 का पिता व प्रार्थी नं0 2 के पति है। प्रतिपक्षी नं0 1 के प्रार्थीगण के अलावा अन्य कोई वारिस नहीं है तथा प्रतिपक्षी नं0 2 प्रार्थीगण नं0 1 व 2 की दादी व प्रतिपक्षी नं0 1 की माता है। ग्राम कराडिया गुलजी तहसील अटरू जिला बारां में प्रार्थीगण नं0 1 व 2 के दादा व प्रतिपक्षी नं0 1 के पिता रामनाथ पुत्र गिरधारी के खाते में निम्न ख0नं0 की कुल 3 किता की 4.80 है0 भूमि स्थित चली आ रही है। नकल जमाबन्दी संवत 2074 से 2077 संलग्न है। ख0नं0 129 की 0.04

है0, ख0नं0 130 की 4.41 है0, ख0नं0 130/277 की 0.35 है0 कुल तीन किता की 4.80 है0। ग्राम निमोदा तहसील अटरू जिला बारां में प्रार्थीगण नं0 1 व 2 के दादा व प्रतिपक्षी नं0 1 के पिता रामनाथ पुत्र गिरधारी के खाते में ख0नं0 32 की 3.40 है0 भूमि स्थित चली आ रही है। नकल जमाबन्दी संवत 2072 से 2075 संलग्न है। ग्राम कराडिया गुलजी तहसील अटरू जिला बारां में प्रतिपक्षी नं0 1 के खाते में निम्न ख0नं की कुल 3 किता की 3.13 है0 भूमि स्थित चली आ रही है। नकल जमाबन्दी संवत 2074 से 2077 संलग्न है। ख0नं0 116 की 0.52 है0, ख0नं0 130/274 की 2.43 है0, ख0नं0 233 की 0.18 है0 कुल तीन किता 3.13 है0। ग्राम कराडिया गुलजी तहसील अटरू जिला बारां में प्रतिपक्षी नं0 2 के खाते में ख0नं0 2 के खाते में ख0नं0 47/313 की 2.34 है0 भूमि स्थित चली आ रही है। नकल जमाबन्दी संवत 2074 से 2077 संलग्न है। उपरोक्त भूमि प्रार्थीगण व प्रतिपक्षी नं0 1 व 2 की पुश्तैनी भूमि है। पूर्व में उक्त भूमि प्रार्थीगण नं0 1 व 2 के दादा रामनाथ जी के खाते में दर्ज चली आ रही थी। तथा रामनाथजी ने कुछ भूमियां प्रतिपक्षी नं0 1 व 2 के नाम अलग खाते दर्ज करवा दी। रामनाथ जी की मृत्यु हो चुकी है और रामनाथ जी के खाते की भूमि का इन्तकाल नहीं खुला है। रामनाथ जी के प्रतिपक्षी नं0 1 ही एक मात्र पुत्र है तथा प्रार्थीगण प्रतिपक्षी नं0 1 के वारिसान व उत्तराधिकारी है। उपरोक्त भूमि में प्रार्थीगण नं0 1 व 2 का जन्म से ही हिस्सा है तथा राजस्व रिकार्ड में रामनाथ जी, मोत्या बाई व पुरूषोत्तम के नाम दर्ज भूमि में प्रार्थीगण का नाम प्रतिपक्षी नं0 1 के साथ दर्ज किया जाना आवश्यक है। तथा प्रतिपक्षी नं0 1 का 1/4 हिस्सा व प्रार्थीगण का प्रत्येक का 1/4, 1/4 हिस्सा दर्ज किया जाना आवश्यक हो गया है। वर्तमान में उक्त भूमि में प्रतिपक्षी नं0 1 का नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है जबकि उक्त भूमि पुश्तैनी भूमि होने से व प्रार्थीगण नं0 1 व 2 का जन्म से ही प्रतिपक्षी नं0 1 के हिस्से में बराबर का हिस्सा होने से प्रतिपक्षी नं0 1 को उपरोक्त भूमि रहन बेचान करने का कोई अधिकार प्राप्त नहीं है। उक्त वाद वर्णित भूमि प्रार्थीगण नं0 1 व 2 की पुश्तैनी भूमि होने के कारण प्रार्थीगण प्रत्येक को 1/4, 1/4 हिस्से का प्रतिपक्षी नं0 1 को 1/4 हिस्से का खातेदार घोषित किया जाना आवश्यक है। प्रतिपक्षी नं0 1 प्रार्थीगण की परवरिश पर कतई ध्यान नहीं देता है और घर का खर्चा नहीं चलाता है तथा प्रतिपक्षी नं0 1 आदतन शराबी व्यक्ति है, कोई काम धन्धा नहीं करता है और अपने गलत शोक के लिये अन्य लोगों के बहकावे में आकर भूमि बेचान करने पर व पुश्तैनी भूमि से प्रार्थीगण महरूम रखने पर आमादा है इस कारण प्रार्थीगण ने उक्त भूमि को रहन व बेचान नहीं करने तथा प्रार्थीगण का नाम प्रतिपक्षी

नं0 1 के साथ राजस्व रिकार्ड में अंकित कराने को प्रतिपक्षी नं0 1 को कहा तो प्रतिपक्षी नं0 1 ने प्रार्थीगण का नाम दर्ज कराने से इन्कार कर दिया व प्रार्थीगण की माता के साथ मारपीट की व जान से मारने की धमकी दी व कहा कि उसे जमीन बेचने से रोकने वाली कौन होती है तथा प्रतिपक्षी नं0 1 ने प्रार्थीगण को दिनांक 05.02.2020 को धमकी दी ि कवह उपरोक्त भूमि में प्रार्थीगण का नाम दर्ज कराने से पूर्व ही उक्त भूमि को खुर्द बुर्द व बेचान कर देगा। यदि उक्त भूमि को प्रतिपक्षी नं0 1 व 2 द्वारा खुर्द बुर्द व बेचान कर दिया गया तो प्रार्थीगण को अपार क्षति होगी जिसकी पूर्ति किसी भी प्रकार नहीं हो सकेगी व प्रार्थीगण का दावा पेश करना ही बेकार हो जावेगा। प्रार्थीगण का केस प्राईमा फेसाई केस है तथा सुविधा का संतुलन प्रार्थीगण के पक्ष में प्रबल है तथा अपरिमित क्षति होने की पूर्ण सम्भावना है।

अतः प्रार्थना पत्र पेश कर निवेद है ताफैसला दावा प्रार्थीगण के पक्ष में प्रतिपक्षीगण के विरूद्ध एक अस्थाई निषेधाज्ञा की इस आशय की प्रसारित की जावे की प्रतिपक्षीगण ग्राम कराडिया गुजली तहसील अटरू जिला बारां की ख0नं0 129 की 0.04 है0, ख0नं0 130 की 4.41 है0, ख0नं0 130/277 की 0.35 है0 कुल तीन किता की 4.80 है0 एवं ख0नं0 116 की 0.52 है0, ख0नं0 130/274 की 2.34 है0 भूमि को किसी प्रकार से खुर्द बुर्द, रहन बैचान व अन्तरण नहीं करे तथा प्रार्थीगण को उनके हिस्से की भूमि से वंचित नहीं करे। उक्त कृत्य न तो स्वयं करे और न अपने प्रतिनिधि से करावे।

2. प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण की तलबी जर्ये सम्मन की गई। प्रतिवादी कम 1 ता 2 द्वारा जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर कथन किया गया कि प्रार्थना पत्र की मद नं0 1 में वाद पत्र पेश करना स्वीकार है। शेष विवरण अस्वीकार है। प्रार्थना पत्र की मद नं0 2 में अप्रार्थी कम 1 प्रार्थी कम 1 व 2 का पिता व प्रार्थी कम 3 का पति तथा अप्रार्थी कम 2 प्रार्थी कम 1 व 2 की दादी व अप्रार्थी कम 1 की माता लिखा होना स्वीकार है। अप्रार्थी कम 1 के प्रार्थीगण के अलावा अन्य कोई वारिस नहीं होनाा स्वीकार नहीं है। विशेष विवरण विशेष अपत्तियों में दर्ज है। प्रार्थना पत्र की मद नं0 3 में आराजी स्थित होना स्वीकार है। प्रार्थना पत्र की मद नं0 4 में आराजी स्थित होना स्वीकार है। प्रार्थना पत्र की मद नं0 5 में आराजी स्थित होना स्वीकार है। तथा कथन है कि आराजी अप्रार्थी कम 1 की स्वअर्जित संपत्ति है। प्रार्थना पत्र की मद नं0 6 में आराजी स्थित होना स्वीकार है। प्रार्थना पत्र की मद नं0 7 में सम्पूर्ण भूमि पुश्तैनी होना स्वीकार नहीं है। विशेष विवरण विशेष आपत्तियों में दर्ज है। प्रार्थना पत्र की मद नं0 8 अस्वीकार है।

विशेष विवरण विशेष आपत्तियों में दर्ज है। प्रार्थना पत्र की मद नं0 9 अस्वीकार है। विशेष विवरण विशेष आपत्तियेां में दर्ज है। प्रार्थना पत्र की मद नं0 10 अस्वीकार है। प्रार्थना पत्र की मद नं0 11 अस्वीकार है। प्रार्थना पत्र की मद नं0 12 अस्वीकार है। अनुतोष प्रार्थीगण अस्वीकार है।

विशेष आपत्तियां

प्रार्थना पत्र की मद नं0 3, 4, 5, 6 में वर्णित सम्पूर्ण भूमि पुश्तैनी नहीं है बल्कि प्रार्थना पत्र की मदनं. 5 में वर्णित ग्राम कराडिया गुलजी की खाता संख्या 43 का कुल किता 3 का कुल रका 3.13 है0 आराजी अप्रार्थी क्रम 1 पुरूषोत्तम की स्वअर्जित सम्पत्ति है तथा प्रार्थना पत्र की मद नं0 6 में वर्णित ग्राम कराडिया गुलजी की खाता संख्या 74 का 1 किता का रकबा 2. 34 है0 आराजी अप्रार्थीया क्रम 2 मोत्या बाई की स्वअर्जित संपत्ति है। इसलिए प्रार्थना पत्र की मद नं0 5 व 6 में वर्णित आराजी में प्रार्थीगण का कोई हिस्सा व अधिकार नहीं बनता है। प्रार्थना पत्र की मद नं0 3 व 4 में वर्णित आराजी के खातेदार मृतक रामनाथ के अन्य वारिसान पुत्रिया प्रकाश बाई, यशोदा बाई, कमलेश बाई, रूकमणी बाई को प्रार्थना पत्र में पक्षकार नहीं बनाया है जबकि मृतक रामनाथ की पुत्रिया प्रार्थना पत्र में आवश्यक पक्षकार है। इसलिए प्रार्थना पत्र चलने योग्य नहीं होने से खारिज फरमाया जावे। अप्रार्थी क्रम 1 पुरूषोत्तम की जाति मीना है जिनमें नाता प्रथा मान्य है। अप्रार्थी क्रम 1 पुरूषोत्तम ने वर्ष 2002 में नाता प्रथा से किरण मीना निवासी कराडिया गुलजी तहसील अटरू से दुसरी शादी कर ली है जो बहेसियत पत्नि अप्रार्थी क्रम 1 के साथ निवास करती चली आ रही है तथा अप्रार्थी क्रम 1 पुरूषोत्तम के नुत्फे से किरण ने आयुष आयु 17 वर्ष अंकित आयु 15 वर्ष, प्रियांशु आयु 12 वर्ष तीन पुत्रों को जन्म दिया है परन्तु प्रार्थीगण ने तथ्यों को छुपाकर व अप्रार्थी क्रम 1 पुरूषोत्तम के तीनों पुत्रों को प्रार्थना पत्र में पक्षकार नहीं बनाया है इसलिए प्रार्थना पत्र कानूनन मेन्टेनेबल नहीं होने से खारिज फरमाया जावे। प्रार्थना पत्र की मद न0 3, 4, 5, 6 में वर्णित आराजी पर अप्रार्थी क्रम 1 व 2 मृतक रामनाथ न स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया शाखा अटरू से कृषि ऋण ले रखा है। प्रार्थी क्रम 1 व 2 का प्रार्थना पत्र की मद नं. 3, 4, 5, 6 में हिस्सा 1/4, 1/4 नहीं बनता है इसलिए प्रार्थी क्रम 1 व 2 को 1/4, 1/4 हिस्से का खातेदार कृषग घोषित नहीं किया जा सकता।

प्रार्थना पत्र की मदनं0 3 व 4 में वर्णित आराजी में मृतक रामनाथ का फौती इन्तकाल अप्रार्थी क्रम 1 व 2 तथा अन्य वारिसान के नाम नहीं खुला है तथा प्रार्थना पत्र की मद नं0 5 में वर्णित आराजी अप्रार्थी क्रम 1 की स्वअर्जित सम्पत्ति है तथा प्रार्थना पत्र की मद नं0 6

में वर्णित आराजी अप्रार्थी कम 2 की स्वअर्जित सम्पत्ति है। इसलिए अप्रार्थी कम 1 व 2 को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द करवाने के प्रार्थीगण अधिकारी नहीं है। अतः माननीय न्यायालय में अप्रार्थी कम 1 व 2 की ओर से जवाब प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र मय हर्जा खर्चा खारिज फरमाने की कृपा करें। अप्रार्थी कम 3 द्वारा जवाब प्रार्थना पत्र पेश नहीं करने के कारण जवाब प्रार्थना पत्र बन्द किया गया।

3 अभिभाषक प्रार्थीगण एवं अभिभाषक अप्रार्थीगण की बहस सुनी। पत्रावली में उपलब्ध रिकोर्ड का अवलोकन किया।

4 वादीगण द्वारा शपथ पत्र के माध्यम से वाद पत्र के मद संख्या 10 में कथन किया है कि प्रतिवादीगण उक्त विवादित आराजी को Remove or dispose off करने की धमकी दे रहे है। प्रतिवादीगण इस धमकी को कृत्य में बदलते है तो वादीगण को उनकी पैतृक संपत्ति में अपने निहित हक व अधिकार से वंचित होना पडेगा। वर्तमान जमाबंदी के अनुसार वाद पत्र के मद कम 2 व 3 में वर्णित आराजी प्रार्थीगण/वादीगण के दादाजी रामनाथ पुत्र गिरधारी (फौत) के खाते दर्ज है। जिसका प्रार्थीगण के पिता/अप्रार्थी कम 1 व अन्य कानूनी वारिसानों के नाम इंतकाल खुलना शेष है। उक्त आराजी प्रार्थीगण/वादीगण के लिऐ पैतृक संपत्ति है और हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के तहत जन्म से इसमें हक व अधिकार निहित है। अप्रार्थीगण/प्रतिवादीगण ने अपने जवाबदावा, जवाब प्रार्थना पत्र व दौरान–ए–बहस न तो कहीं इस तथ्य का विरोध/खण्डन नही किया और न ही कोई दस्तावेज पेश किया। इसी प्रकार प्रतिवादीगण ने अपने जवाबदावा में मद कम 4 व 5 में वर्णित आराजी को प्रति0 कम 1 व प्रति 2 की स्वअर्जित संपत्ति बताया है। वादीगण द्वारा वादपत्र, जवाब प्रार्थना पत्र आ. 7 नि. 11 व दौरान–ए–बहस न तो कहीं इस तथ्य का विरोध/खण्डन नही किया और न ही कोई दस्तावेज पेश किया। अतः मद कम 4 व 5 में वर्णित आराजी प्रथम दृष्ट्या प्रतिवादीगण की स्वअर्जित संपत्ति है जिसका वास्तविक निर्धारण तनकीयात बाद साक्ष्य व गवाहों के आधार पर किया जा सकेगा।

5. अभिभाषक वादीगण द्वारा बहस में वाद के निस्तारण तक यथास्थिति बनाये रखने का निवेदन किया लेकिन आर0टी0एक्ट की धारा 212 के अन्तर्गत जारी किये जाने वाले आदेश स्वरूप ''निषेधात्मक/प्रतिषेधात्मक'' होता है अर्थात अप्रार्थी को ''कोई कार्य नहीं करने हेतु'' आदेश जारी किया जा सकता है। धारा 212 आर0टी एक्ट के अधीन 'यथास्थिति बनाये रखने'

जैसा कोई सिद्धान्त निहित होना प्रतित नहीं होता है। धारा 212 के अधीन न्यायालय का आदेश निषेधात्मक, संक्षिप्त एवं विशिष्ट होना चाहिऐ।

6. उपरोक्त विवेचन व विश्लेषण के आधार पर प्रार्थीगण/वादीगण का प्रार्थनना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर0टी0एक्ट0 आंशिकतः स्वीकार किया जाता है। अप्रार्थी क्रम 3 तहसीलदार, अटरू को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि वह प्रार्थना पत्र के मद क्रम 2 में वर्णित आराजी ग्राम कराडिया गुलजी के ख0नं0 129 की 0.04 है0, ख0नं0 130 की 4.41 है0, ख0नं0 130/277 की 0.35 है0 कुल तीन किता की 4.80 है0 एवं मद क्रम 3 में वर्णित आराजी ग्राम निमोदा के ख0नं0 32 की 3.40 है0 के वर्तमान खातेदार मृतक रामनाथ पुत्र गिरधारी मीना का इन्तकाल वाद निस्तारण तक दर्ज नहीं करे। अप्रार्थी क्रम 1 व 2 प्रार्थना पत्र के मद 2 व 3 में वर्णित उक्त विवादित पैतृक संपत्ति का मूल वाद के निस्तारण तक किसी भी प्रकार का कोई समझौता व अन्तरण नहीं करें।

निर्णय आज दिनांक 07.03.2022 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(दिनेश कुमार मीणा)
उपखण्ड अधिकारी
अटरू जिला बारां